

# श्रम एवं रोज़गार विभाग (हि0 प्र0)



## कार्यालय ज्ञापन

### बिषय:— कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियात वारें।

यह सर्वविदित है कि कोरोना वायरस को फैलने से काफी हद तक रोका जा सकता है, यदि इसकी रोकथाम हेतु सर्वसाधारण एहतियाती उपाय अपनाए जाते हैं। अतः निम्नलिखित सलाह/परामर्श दिया जाता है।

1. उचित सफाई रखी जाए। सैनटाईजर या हाथ धोने हेतु व्यवस्था सरकारी भवनों में प्रदेश पर यदि व्यवहारिक हो, मुहैया करवायी जाए। सैनटाईजर साबुन और चलते पानी की व्यवस्था/सुविधा वाथरूम में उपलब्ध करवाई जाए।
2. कर्मचारी जिनमें फ्लू के बुखार या सांस लेने में समस्या आदि के लक्षण पाए जाते हैं, को अवकाश में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर जाने के लिए सलाह दी जा सकती है वह अधिकारी निर्धारित ईलाज घर पर ईलाज करवाएं। बुजुर्ग कर्मचारी/गर्भवती महिला कर्मचारी और वह कर्मचारी जो कि चिकित्सा शर्तों को रेखांकित करते हो को अतिरिक्त सावधानी लेने हेतु सलाह दी जाए।
3. आगतुकों के प्रदेश में प्रतिबन्ध, कटौती तथा विनियमित करने और उचित जांच सुनिश्चित की जाए।
4. केवल महत्वपूर्ण बैठकें ही आयोजित की जाए। विडियो कॉन्फ्रैन्स सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारी यात्रा को कम किया जाना चाहिए।
5. डाक का वितरण और प्राप्ति कार्यालय भवन के प्रवेश पर एक जगह से विशेष व्यवस्था कर दी जाए। पत्राचार ईमेल के द्वारा अधिक से अधिक किया जाए।
6. कार्यालय में स्थित सभी जिंम, मनोरंजन स्थल और करेचिज बन्द किए जाए।
7. सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाने, बार-2 हाथ धोने, अनावश्यक यात्रा न करने, नाक और मुँह छींकते और खँसते समय रुमाल या टीशू पेपर से ढकने बारे सलाह दी जाए। उन्हें हाथ न मिलने तथा सार्वजनिक रूप से न थूकने बारे सलाह दी जाए।
8. सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों को अफवाह न फैलाने वारे व दैहशत पैदा न करने बारे भी सलाह दी जाए।

आदेश द्वारा  
आयुक्त श्रम एवं निदेशक रोज़गार ।